

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

चम्पालाल बन्नाम ईमरताराम आदि

दावा बाबत :- विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न. 11/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रू

हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुहई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व विभाजन प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साण्डवा के खसरा संख्या 1742/1635 रकबा 0.9042 हेक्टेयर में से पूर्वी साईड की 0.3541 हेक्टेयर भूमि अकेले वादी चम्पालाल पुत्र नेमीचन्द जाति रेगर निवासी साण्डवा के अलग खातेदारी में दर्ज कर अलग से लगान कायम किया जावे तथा शेष 0.5501 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 (इमरताराम पुत्र नेताराम हिस्सा 2403/5501 जाति रेगर निवासी साण्डवा, नारायणराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1265/5501 जाति मेघवाल निवासी बम्बू, पांचाराम पुत्र मुकनाराम हिस्सा 948/5501 जाति मेघवाल निवासी मानपुरा, रामचन्द्र पुत्र हेमाराम हिस्सा 885/5501 जाति मेघवाल निवासी सातलेरा तहसील डूंगरगढ जिला बीकानेर) के संयुक्त रूप से अलग खातेदारी में दर्ज कर अलग से लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव अनुसार नक्शा में तरमीम की जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार अलग-अलग खातेदारी दर्ज कर अलग-अलग लगान कायम करने व नक्शा में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वो वादी की भूमि में किसी प्रकार से दखल नहीं करें। खर्चा मुकदमा वादी स्वयं वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

चीज मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलमाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.03.2019

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर



मुहई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जादावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का; चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर